



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2009/आश्विन 2, 1931

No. 182]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2009/ASVINA 2, 1931

### भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2009

सं. भा.आ.प. 2(1)/2009-मेडि./39198.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली, 2000" में संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली (संशोधन), 2009" कहा जाए।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली (संशोधन), 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
3. भाग-VI-कार्यकारिणी समिति, में "किसी सदस्य का कार्यकाल" शीर्षक के अंतर्गत विनियम 43 में निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"कार्यकारिणी के किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष या परिषद् में उसकी सदस्यता समाप्त होने, इनमें से जो भी कम हो, तक होगा। कोई सदस्य पुनः निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा।"

ले. क. (से.नि.) डा. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव  
[विज्ञापन III/4/असा./100/09]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली 2000" दिनांक 15 नवम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग-III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी।

### MEDICAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2009

No. MCI. 2(1)/2009-Med./39198.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulation to amend the "Medical Council of India Regulation, 2000", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Medical Council of India Regulations, (Amendment) 2009".
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the "Medical Council of India Regulations, 2000", the following additions/modification/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—
3. In Part-VI - Executive Committee, the Regulation 43 under the heading 'Term of office of a member', shall be substituted as under :—

"The Term of office of an elected member of the Executive Committee shall be three years or until his membership in the Council is over, whichever is shorter. A member shall be eligible for re-election."

LT. COL. (RETD.) DR. A.R.N. SETALVAD, Secy.  
[ADVT. III/4/Exty./100/09]

Foot Note :—The Principal Regulations namely, "Medical Council of India Regulations, 2000" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 15th November, 2000.